

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/परि.प्रस्ताव-245/2019/1342

दिनांक :- 13/8/19

## कार्यालय आदेश

मण्डल की 219वीं बोर्ड बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 219.57 की अनुपालना में प्रसारित आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/हैल्पर/एसीपी/2013/1355 दिनांक 01.08.2013 द्वारा राज्य सरकार के दो से अधिक संतानों की स्थिति में पदोन्नति स्थगित करने संबंधी परिपत्र दिनांक 20.06.2001 व 13.08.2004 के प्रावधानों में शिथिलन दिया गया था तथा शिथिलन अनुसार ही पदोन्नति दी गयी थी।

परिचलन से जारी प्रस्ताव संख्या 245/2019 पर माननीय संचालक मण्डल के सदस्यों के बहुमत से प्राप्त सहमति अनुसार संचालक मण्डल के बहुमत से पारित प्रस्तावानुसार उक्त शिथिलन आदेश अपास्त किया जाता है तथा अब राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.06.2001 व 13.08.2004 तथा संशोधित आदेश दिनांक 01.04.2017 के अनुसार (02 से अधिक संतान होने पर पदोन्नति स्थगन के संबंध में राज्य सरकार में दिनांक 31.05.2002 से लागू प्रावधान को राज्य सरकार की भांति मण्डल में लागू किये जाने बाबत प्रस्ताव पर दी गयी सहमति) व्यवस्था बोर्ड कार्मिकों की पदोन्नति में रहेगी तथा जिन्हे शिथिलन (प्रस्ताव 219.57 दिनांक 08.07.2013) से पदोन्नति दे दी गयी थी उन्हें संबंधित पदोन्नति वर्ष से "छाया पद" मानकर यथावत रखा जायेगा तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.06.2001 से पात्र कार्मिकों को संबंधित वर्ष में पदोन्नत किया जायेगा तथा जिस वर्ष उक्त प्रकार छाया पद पर रखा गया कार्मिक, प्रावधान दिनांक 20.06.2001, 13.08.2004 व 01.04.2017 के अनुसार पात्र हो जायेगा उस वर्ष में उन्हें पदोन्नत किया जायेगा। परन्तु अब तक हुई पदोन्नति से पदावनत नहीं करते हुये छाया पद Shadow के रूप में रखा जायेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर में बोर्ड की संचालक समिति में हुये निर्णय के क्रम में अनुमोदित है।

(राजीव जैन)  
सचिव

### प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता,(मु)/I/II, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
3. निदेशक विधि/उप सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-.....राजस्थान आवासन मण्डल, .....।
6. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

2/9/19  
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक